

सरकार बनाने की प्रक्रिया

बनाने

नियम 14(4) में राजस्व अधिनियम बाबत आवंटन

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|----------------------|-------------|

पनावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित/प्राथमिकी की ओर से प्रयोक्ता

सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपुलवाली) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सूना गया। प्रयोक्ता

वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सूना गया। प्रयोक्ता

सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपुलवाली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का

वर्णन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादस्पद साबिक आराजी

खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मुंसि अप्राथमिकी संख्या 01 श्री

तीतरिया पुत्र श्री सगया जाति कानर निवासी गानडा तहसील कोटपुलवाली को

मू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की

गयी थी। परन्तु आवंटन द्वारा उसको अलग-अलग की गयी मुंसि को कमी

काबिल होकर काबल नहीं की। जबकि मू-आवंटन नियमों के अनुसार मू

आवंटन की गयी मुंसि को तीन वर्ष में काबिल काबल की जाना आवश्यक है।

आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटन के हक में गैर

खतबेदारी/खतबेदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम

राजस्व रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सका। यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त

हो गया। तदनुसार खतबेदारी/खतबेदारी के मौके पर खतबेदारी होने तथा राजस्व

अभिलेख में राजकीय मुंसि सिवायक दर्ज होने के कारण दिनांक

01/01/1993 को राजस्थान आर्थिक विकास निगम (सीको) को आवंटित

कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवादित आराजीयात तस्वीरी

अप्राथमिकी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी। आज भी उक्त आराजीयात

पर आवंटनी अप्राथमिकी संख्या का कोई कबा काबल नहीं है, बल्कि तस्वीर

अप्राथमिकी संख्या का ही रिपोर्ट में नाम दर्ज है तथा कबा है, जो मौका रिपोर्ट

दिनांक 10/02/2017 अतः अधील से भी प्राथमिकी-पत्र स्वीकार कर अप्राथमिकी

के हक है, में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त

करवाया जावे।

यानि अधिवक्ता अप्राथमिकी संख्या एक ने अपने जवाब के तथ्यों को

दोहराते हुए प्रयोक्ता के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि

आवंटनी को आवंटन के परचाल आवंटन की गयी मुंसि का कबा के परचाल

अनावार काबिल काबल है। अप्राथमिकी ने कोई अवहेलना नहीं की है।

बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त

दिनांक में चला गया और इसके बाद सन् 1980 में यह ग्राम तहसील

कोटपुलवाली जिला जयपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिपोर्ट में नहीं हो

या, बल्कि सिवायक ही दर्ज रह गयी और अप्राथमिकी की कबले

काबल की कबले मुंसि को सिवायक मानकर सीको को बेच दी गयी। अप्राथमिकी

को आराजी विवादस्पद के खतबेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। राजस्व

रिपोर्ट में खतबेदारी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं प्राथमिकी का था, जो उनके

हक नहीं किया गया। प्राथमिकी (लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपुलवाली) की

गणती की सजा अप्राथमिकी (आवंटनी) को नहीं दी जा सकती। कार्रवाई रूप से

के अब 30 साल के अन्तराल के परचाल आवंटन निरस्त नहीं किया जा

सकता। अप्राथमिकी को कबले प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी मुंसि से अप्राथमिकी

आवंटनी को आवंटित की गयी मुंसि से बिना बदखल किये एवं विधिवत किया

गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 को निरस्त किये जाने तथा

अप्राथमिकी को नोटिस एवं सूचनाओं का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी पीठ

पीठ से खतबेदारी अप्राथमिकी रिपोर्ट को पुनः किया गया आवंटन आदेश पूर्णतया

रद्द के तहत किये जाने के विपरीत गैर कार्रवाई एवं अप्रासंगिक होने

अप्राथमिकी (आवंटनी) के हक हकको के प्रति शून्य एवं बेअसर है। अतः अधील

112/151

विशेष विवरण

35

